न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–245 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–88 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस

26.05.2026 काराधीन अभियुक्त–1. विद्यानंद राय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दिनांक–30.04.2026 को नियमित जमानत याचिका दाखिल किया गया है, जोकि धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस से संबंधित अथमलगोला थाना कांड संख्या–88 / 2026, दिनांक–25.03.2026 के नामित अभियुक्त हैं।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेश प्रसाद सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना। याचिकाकर्ता की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत याचिका को प्रचालित करते हुए कहते हैं कि, पूर्व में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायालय–तृतीय, बाढ़ के न्यायालय में दाखिल किया गया था लेकिन इस बीच आवेदक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इनका अग्रिम जमानत आवेदन स्वतः निष्फल हो गया। आवेदक की ओर से पूर्व में मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई अग्रिम जमानत याचिका दायर नहीं की गई है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक–19.04.2026 से काराधीन हैं। आवेदक का पूर्व में जमानत आवेदन विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, बाढ़ के द्वारा दिनांक–23.04.2026 को खारिज किया जा चुका है। आगे विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि, आवेदक निर्दोष हैं, इनके द्वारा कोई–भी अपराध नहीं किया गया है इनके विरूद्ध बीएनएस धारा–109 आकर्षित नहीं होता है और इन पर चारी का आरोप गलत है। उभयपक्षों के बीच वाद एवं प्रतिवाद है। आवेदक की ओर से इस वाद की सूचिका के विरूद्ध भी वाद लाया गया है। इस वाद में आवेदक के फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्त न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने एवं बंधपत्र दाखिल करने के लिए तैयार है। अतः, प्रार्थना करते हैं कि आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाए।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, इस कांड के सूचिका–अंजू देवी हैं, जिनका कहना है कि, वह दिनांक–24.03.2026 को लगभग एक बजे दोपहर में अपने घर के पीछे बाथरूम के लिए गई थी, इसी बीच शकलू राय, लक्ष्मी कुमारी, विद्यानंद राय, सुधा देवी एवं सीपीन राय उनके साथ गाली–गलौज करने लगा, मना करने पर पैना–लाठी से मार–पीट करने लगा, जिससे उनका सिर फट गया। हल्ला–गुल्ला पर उनके पति आए तो उसे भी पैना से सिर पर मारा तथा लाठी से बायां हाथ में मारा, जिससे खून बहने लगा और चोट का निशान है। तभी, सभी गांव वाले जुटे तो वे सब भाग गए और सूचिका के गले से सोने का चैन दस ग्राम का और ढोलना चार ग्राम का ये लोग छीन लिए, जिसकी कुल कीमत एक लाख पच्चास हजार रूपए थी।

कांड दैनिकी के अवलोकन से यह विदित् होता है कि, कांड दैनिकी के कंडिका–3 में वादिनी का पुनः, ब्यान है, जिसमें इन्होंने घटना का समर्थन किया है। इसी प्रकार कंडिका–7 में

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़

नियमित जमानत आवेदन संख्या–245 / 2026
अथमलगोला थाना कांड संख्या–88 / 2026
अंतर्गत धारा–115(2), 126(2), 109, 303(2), 352, 351(2), 351(3), 3(5) बीएनएस

लगातार

26.05.2026

साक्षी–बबीता देवी एवं कंडिका–8 में साक्षी–ज्योति देवी का ब्यान है, जिसमें इन लोगों ने आपस में मार–पीट किए जाने की घटना का समर्थन किया है लेकिन इन दोनों साक्षियों ने सिकड़ी एवं ढोलना छीनने की बातों का समर्थन नहीं किया है। कांड दैनिकी के कंडिका–39 के अनुसार, आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी का जख्म–प्रतिवेदन संलग्न है, जिसमें जख्म की प्रकृति साधारण पाई गई है। आवेदक दिनांक–19.04.2026 से काराधीन हैं। जख्मियों का जख्म साधारण प्रकृति का है एवं चोरी की घटना आवेदक के विरूद्ध आकर्षित नहीं होता है और न ही किसी–भी साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि, जान मारने की आशय से मार–पीट किया गया है, इनके विरूद्ध धारा–109 बीएनएस आकर्षित नहीं होता है एवं अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति की हैं।

अतः, ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं कारा में बिताई गई अवधि को देखते हुए काराधीन अभियुक्त–1. विद्यानंद राय को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। मो0 10,000 (दस हजार) रुपये के समतुल्य राशि के दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत याचिकाकर्ता को जमानत पर **मुक्त** करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित / शुद्धित

Sd/-

(विवेक भारद्वाज)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बाढ़